राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(7)राज-4/77/राज-6/12 जयपुर, दिनांक: 01.04.1991

-: अ धि सू च ना :-

राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(7)राज-4/77/20 दिनांक 29.1.83 द्वारा गैर मुमकिन भूमि पर सिर्फ कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 1.7.78 से पूर्व तक किये गये अतिक्रमणों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम -.20 एवं अधिसूचना क्रमांक प.6(7)राज-4/77 दिनांक 14.4.77 में उल्लेखित निबन्धनों एवं शर्तों पर नियमित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये यह अधिसूचना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में लागू नहीं होगी। परन्तु इन जिलों के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभान्वितों को नियमन का लाभ दिया जा सकेगा तथा अन्य मामलों में एक हैक्टयर तक।

गैर मुमकिन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के प्रयोजन से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के अनुसरण में राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि राजकीय गैर मुमकिन भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये सिर्फ कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों को जो कि दिनांक 15.7.84 या उसके पूर्व के हो उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर नियमित कर दिया जावे जो कि आदेश प.6(7)राज-4/77/6 दिनांक 1.4.91 में निहित है।

आज्ञा से,

ह0/

(रामवीर सिंह भँवर)
शासन उप सचिव

मनोज/